सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-6740/MH/710/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 20.07.2026**

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-रायगढ़,
कलेक्टर कार्यालय,
हिराकोट झील के पास, अलीबाग,
रायगढ़-402201, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.raigad@maharashtra.gov.in

विषय: 30-40 वर्षो से वन भूमि पर निवास कर रहे आदिवासी परिवारों को मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध श्री दत्तात्रेय श्रावण नाईक, मुक्काम-श्रीगांव, पोस्ट-कामार्ले, तालुका-अलीबाग, जिला-रायगड, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 15.12.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री दत्तात्रेय श्रावण नाईक,
मुक्काम-श्रीगांव, पोस्ट-कामार्ले,
तालुका-अलीबाग, जिला-रायगड,
महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-6740/MH/710/2025-RO-BH/RU-I
अनुसंधान इकाई : अनुसंधान इकाई-I

श्री दत्तात्रेय श्रावण नाईक, निवासी श्रीगांव, पो. कामारले, तहसील अलीबाग, जिला रायगढ़ (महाराष्ट्र) द्वारा ग्राम श्रीगांव, सर्वे नं. 40/2 की भूमि पर निवासरत आदिवासी परिवारों को बेदखली से संरक्षण एवं भूमि को ग्रामस्थान/वास्तविक कब्जाधारकों के नाम दर्ज किए जाने संबंधी अभ्यावेदन पर दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक : 15.06.2026
अध्यक्षता : माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री दत्तात्रेय श्रावण नाईक द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि ग्राम श्रीगांव, सर्वे नं. 40/2 की भूमि पर वे एवं अन्य 9 आदिवासी परिवार वर्ष 1997-98 से निवास कर रहे हैं। समय के साथ सरकारी आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकानों का पक्का निर्माण हुआ तथा संबंधित असेसमेंट अभिलेखों में भी उनके निवास का उल्लेख है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उन्हें भविष्य में उक्त भूमि से बेदखल न किया जाए तथा भूमि को ग्रामस्थान घोषित कर अथवा वास्तविक कब्जाधारकों के नाम दर्ज कर न्याय प्रदान किया जाए।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

जिला कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि प्रकरण की विस्तृत जांच अभी प्रचलन में है। संबंधित विभागों से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया है तथा सभी हितधारकों से परामर्श उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16.03.2026, 20.04.2026 एवं 18.05.2026 को सुनवाई निर्धारित की गई थी, किन्तु किसी भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, रायगढ़ की ओर से श्री दिनेश पराने उपस्थित नही हुए व अभ्यावेदक उपस्थित नही हुए तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, रायगढ़ ने लिखित प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2026 के माध्यम से आयोग ने अवगत कराया है कि कि गट नं. 40 की भूमि वर्ष 1980 में सड़क, पुल एवं भवन निर्माण कार्यों हेतु खनन प्रयोजन के लिए लोक निर्माण विभाग को आवंटित की गई थी। वर्ष 1997 में सर्वे नं. 40/1 का एक भाग ग्राम पंचायत खिड़की को आवास निर्माण हेतु हस्तांतरित किया गया, जबकि सर्वे नं. 40/2 लोक निर्माण विभाग के अधीन रहा। विभाग ने यह भी बताया कि वर्तमान में उक्त भूमि का खनन कार्य हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है। भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति के संबंध में अंतिम निर्णय महाराष्ट्र शासन के राजस्व विभाग द्वारा लिया जाना है।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित क्षेत्र में निवासरत कातकरी विशेष पिछड़ी जनजाति के आदिवासी परिवारों के लिए पेयजल की समुचित एवं स्थायी व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

2. यह भी अनुशंसा की जाती है कि स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक उपयोग हेतु आवश्यक भूमि आरक्षित/उपलब्ध कराई जाए, जिससे मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विकास सुनिश्चित हो सके।

3. पात्र एवं वास्तविक कब्जाधारी प्रत्येक परिवार के मामले का पृथक-पृथक परीक्षण कर नियमानुसार आवासीय भूमि/पट्टे का आवंटन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

4. उपर्युक्त अनुशंसाओं के अनुपालन में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट (ATR) 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं.NCST/DEV-6740/MH/710/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 15.06.2026

विषय: 30-40 वर्षो से वन भूमि पर निवास कर रहे आदिवासी परिवारो को मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबध श्री दत्तात्रेय श्रावण नाईक, मुक्काम-श्रीगांव, पोस्ट-कामार्ले, तालुका-अलीबाग, जिला-रायगड, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 15.12.2025 का अभ्यावेदन के संबंध मे आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 15.06.2026 को आयोजित मीटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री लतिका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	दिनेश व. पराने.	उपजिल्हाधिकारी	9604040709	[signature]
2				
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	दत्तात्रेय श्रा. नाईक		9405517238	[signature]
2				
3				
4				